

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै../(एफ-1602)/2024/99

दिनांक : 06/03/2024

आदेश

वित्त विभाग के मेमोरडम क्रमांक एफ.1(2) वित्त/नियम/2006-प्रथम दिनांक 8.8.2019, 25.10.2019 एवं 06.01.2020 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कार्मिक (परिविक्षाधीन) को स्वयं की प्रार्थना पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अवधि का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	पदस्थापन स्थान	अवकाश का प्रकार	असाधारण अवकाश अवधि
1	तनिष्का शर्मा, सहायक रेडियोग्राफर	राजकीय जिला चिकित्सालय, दौसा।	स्वयं की बिमारी के कारण	दिनांक 19.08.2023 से 24.08.2023 तक 06 दिवस
2	सम्पति बाज्या, सहायक रेडियोग्राफर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालवाड, जयपुर।	स्वयं की बिमारी के कारण	दिनांक 10.07.2023 से 23.07.2023 तक कुल 14 दिवस

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै../(एफ-1602)/2024/99

दिनांक : 06/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, दौसा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
3. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. श्री तनिष्का शर्मा एवं सम्पति बाज्या सहायक रेडियोग्राफर (परविक्षाधीन) कार्मिक को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

RajKaj Ref
5841972

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma

Designation: Director

Date :05-03-2024 05:56:58